Rs.20000 Rs. RUPEES 20000 रुपये Rs.20000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 20,89,620/-
बाजारू मूल्य	: रु0 11,63,250/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 2,09,000/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख कुसुम वर्मा पत्नी श्रीराम वर्मा, निवासी-छोटा बरहा, आलमबाग, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवं [illegible] बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (लेखाकार), रजिस्टर्ड आफिस–1101 टालस्टाय हाऊस, टालस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता–तृतीय तल, आई०एल०एन०सी०पी०एल० लिमिटेड, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

यह कि विक्रेता खसरा संख्या–21 रकबा 0.719 हेक्टेयर व खसरा संख्या [illegible], रकबा 0.127 हेक्टेयर कुल दो किता व कुल रकबा 0.846 हेक्टेयर, स्थित ग्राम [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ, की मालिक शामिल व काबिज है। तथा अद्यतन सत्यापित [illegible] खाता खतौनी के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम पर अमल दरामद

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

दाखिल अभिलेखों हो गया है, एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं रहन, बैय, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के

RUPEES 20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कोई इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का अन्य हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रू० 20,89,620/- (रूपया बीस लाख नवासी हजार छः सौ बीस मात्र) के प्रतिफल में विक्रेता कि जारीकर्ता केता द्वारा

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-6-

विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति का विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को सदैव बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

को मालकी कब्जा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति का उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में

RUPEES

20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

दाखिल एवं उपयोग व उपभोग करेगी। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेगी एवं न ही कोई मांग कर सकेगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या दखल से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान,

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO

-4-

निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। इस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिला आदि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि जमीन खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर [illegible] अर्धनगरीय क्षेत्र के निर्दिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए

5000Rs

- 11 -

निर्धारित सर्किल रेट रू० 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.840 हेक्टेयर की मालियत रू० 11,55,250/- होती है, चूंकि भूमि का विक्रय मूल्य व भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 2,09,000/- का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

२०००रु. भारत Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

है। उक्त भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० की अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 500 मीटर की अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। इस

1000 Rs

१००० रु. भारत Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपने पूरे होशो-हवास व बिना किसी जोर-दबाव के क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

परिशिष्ट : विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–21 रकबा 0.719 हेक्टेयर व खसरा संख्या 205स, रकबा 0.127 हेक्टेयर कुल दो किता व कुल रकबा 0.846 हेक्टेयर, स्थित ग्राम [illegible] नगर [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

नक्शा नं० 22

पूरब : खसरा संख्या–23
पश्चिम : खसरा संख्या–[illegible]

1000Rs

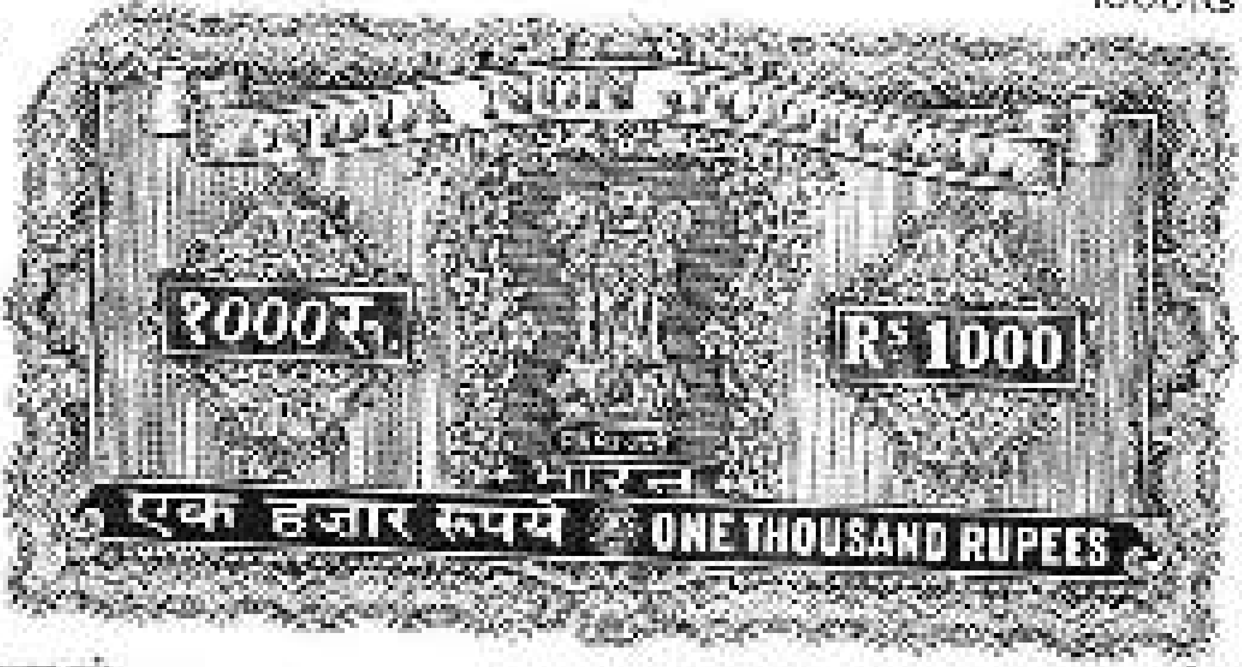

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर : खसरा संख्या 30

दक्षिण : चकरोड

<u>खसरा नं 205स</u>

पूरब : खसरा संख्या-212, 214

पश्चिम : चकरोड

उत्तर : खसरा संख्या-204

दक्षिण : खसरा संख्या-201, 206

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल प्रतिफल रू० 20,89,620/- (रुपया बीस लाख नवासी हजार छः सौ बीस मात्र) में से रू० 5,00,000/- (रुपया पांच लाख मात्र) के चार चेक क्रमशः चेक संख्या-653175/653176/653177/653178 व रू० 89,620/- (रुपया नवासी हजार छः सौ बीस मात्र) द्वारा चेक संख्या-653183 सभी चेक दिनांकित 17.06.2006, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-- हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोट:- पृष्ठ नं० 16 के लाइन नं० 5 व 7 में चेक संख्या काले पेन से लिखा गयी है।

लखनऊ

दिनांक: 17.06.2006

गवाह

1. [illegible]

2. N.R.K. [illegible]

Mo Gazi Realtors Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

विक्रेता

क्रेता

टाइपकर्ता

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अम्बेर हुसैन)

एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता - [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता - [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

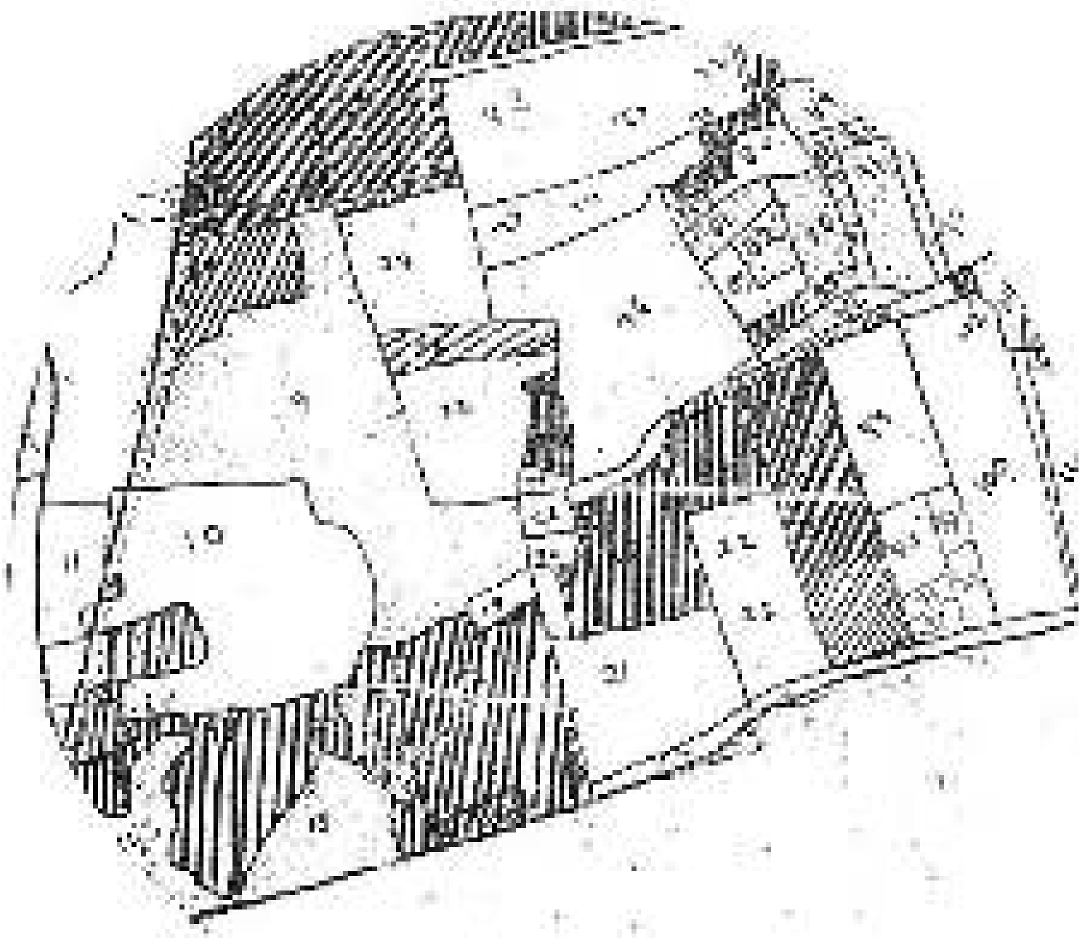

[illegible]

For Gauri Realtors Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

नक्शा - नजरी

[illegible] - [illegible]

[illegible] - [illegible]

[illegible] - [illegible]

[illegible] - [illegible]

[illegible]

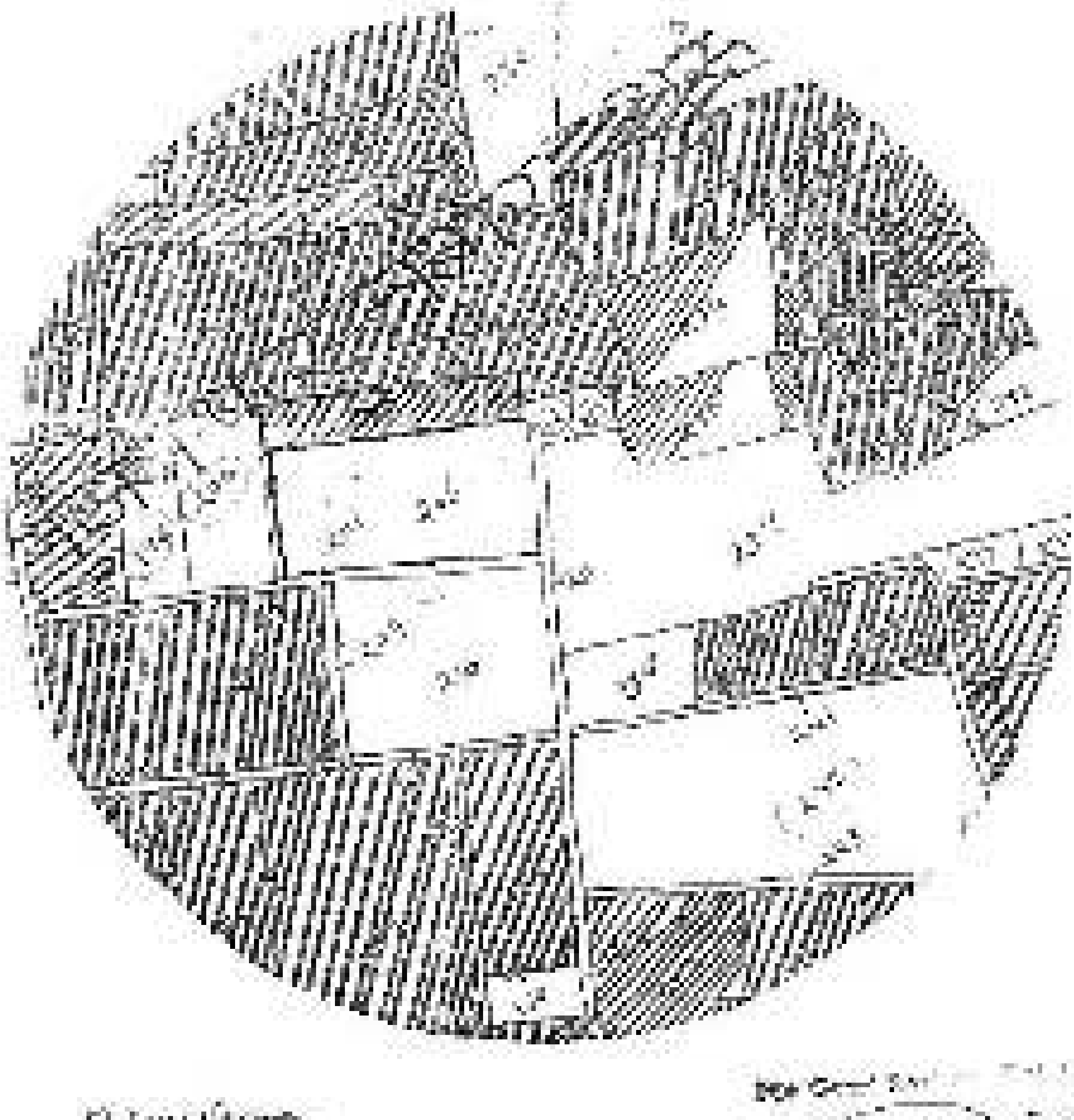

[illegible]

आज दिनांक [illegible] को

पुस्तक संख्या [illegible] खंड [illegible]

पृष्ठ [illegible] पर क्रम संख्या [illegible]

पंजीकृत किया गया ।

सब रजिस्ट्रार